



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05092022-238611
CG-DL-E-05092022-238611

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3972]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 5, 2022/भाद्र 14, 1944

No. 3972]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 5, 2022/BHADRA 14, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2022

का.आ. 4153(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 461 (अ) दिनांक 30.03.2006 द्वारा हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश राज्य में छह-लेन ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (एनएच नंबर एनई - II) को 1.000 किमी से 136.000 किमी (एनएच -1 पर किमी 36.083 से 1.00 किमी की दूरी पर शुरू होते हुए और एनएच-2 पर 64.330 किमी से 1.00 किमी की दूरी पर समाप्त होते हुए) के विकास का कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा जाए) को सौंपा है ;

और यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम (3) के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा यांत्रिक वाहनों पर खंडों के उपयोग के लिए शुल्क उदग्रहीत और संग्रहीत करने के लिए प्राधिकरण को निम्नानुसार प्राधिकृत किया :

अधिसूचना संख्या का. आ. 2299(अ), दिनांक 06 जून 2018 द्वारा हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग सं -II (जिसे इसके पश्चात् "एनएचएनई -II" कहा जाए) पर 1.000 किमी से 136.000 किमी (एनएच -1 पर किमी 36.083 से 1.00 किमी की दूरी पर शुरू होते हुए और एनएच-2 पर 64.330 किमी से 1.00 किमी की दूरी पर समाप्त होते हुए) (लगभग 135 किमी) तक के खंड के लिए ।

और यतः, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, 27.01.2022 को प्रस्तुत बोली के लिए दिनांक 06.05.2022 को हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में 1.000 किमी से 136.000 किमी [एनएच -44 (पुराना एनएच-1) पर किमी 36.083 से 1.00 किमी की दूरी पर शुरू होते हुए और एनएच-19(पुराना एनएच-2) पर 64.330 किमी से 1.00 किमी की दूरी पर समाप्त होते हुए) (लगभग 135.000 किमी)] तक के टोलिंग, प्रचालन, अनुरक्षण और हस्तांतरण (टीओटी विधि) हेतु मैसर्स एनसीआर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे प्रा. लिमिटेड सी-2/39, बीएलके-सी-2, सफदरजंग देव एरिया, नई दिल्ली-110016, (जिसे इसके पश्चात 'रियायतग्राही' कहा जाए) के साथ करार (जिसे इसके पश्चात 'उक्त करार' कहा जाए) किया है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 [सा.का.नि. 838 (अ), तारीख 5.12.2008] के नियम 3 और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2010 [सा.का.नि.950(अ), तारीख 3.12.2010], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2011 [सा.का.नि.15 (अ)], तारीख 12.1.2011] राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) दूसरा संशोधन नियम, 2011 [सा.का.नि. 756 (अ), तारीख 12. 10.2011], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2013[सा.का.नि. 778 (अ), तारीख 16.12.2013], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2014 [सा.का.नि. 26 (अ), तारीख 16.01.2014], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2014 [सा.का.नि. 831 (अ), तारीख 21.11.2014], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2014 [सा.का.नि. 02(अ), तारीख 29.12.2014], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2015 [सा.का.नि. 220 (अ), तारीख 23.03.2015], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2016 [सा.का.नि. 585 (अ), तारीख 08.06.2016], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2016 [सा.का.नि. 1114(अ), तारीख 02.12.2016] , राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2017 [सा.का.नि. 248(अ), तारीख 14.03.2017] और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2018 [सा.का.नि. 427(अ), तारीख 07.05.2018] , राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2018 [सा.का.नि. 920 (अ), तारीख 25.09.2018] , राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2019 [सा.का.नि. 942 (अ), तारीख 20.12.2019], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2020 [सा.का.नि. 298 (अ), तारीख 15.05.2020], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2020 [सा.का.नि. 523 (अ), तारीख 24.08.2020], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2020 [सा.का.नि. 804 (अ), तारीख 30.12.2020], के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और बोली की देय तारीख तक किसी अन्य संशोधनों और अधिसूचना संख्या का.आ. 2299(अ) तारीख 06 जून 2018 का अतिक्रमण करते हुए, सिवाय उन बातों के जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व कर ली गई हैं या करने से लोप करा दी गई हैं, उक्त राष्ट्रीय राजमार्गों के उक्त खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन पर हुए व्यय, निवेशित पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात के दबाव और प्राधिकरण तथा रियायतग्राही के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि यांत्रिक वाहनों पर, सड़क की कुल समकक्ष लम्बाई 156.090 कि.मी. [जिसमें 135.000 कि.मी. की सड़क और 2.343 किमी की सरचनाएं शामिल हैं (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) और जिसकी समकक्ष लम्बाई 23.433 कि.मी. है] हेतु सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर छह लेन के खण्डों के उपयोग के लिए नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं - एनई 2 पर 1.000 किमी से 136.000 किमी (एनएच -44 (पुराना एनएच -1) पर किमी 36.083 से 1.00 किमी की दूरी पर शुरू होते हुए और एनएच-19 (पुराना एनएच-2) पर 64.330 किमी से 1.00 किमी की दूरी पर समाप्त होते हुए) (लगभग 135.000 किमी) तक के खंड के लिए शुल्क उद्धृत किया जाएगा और उक्त रियायतग्राही को कार्यारंभ करने की तारीख को तथा उस तारीख से अथवा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, जो भी बाद में हो, करार में विनिर्दिष्ट समापन की तारीख तक शुल्क संग्रहीत तथा प्रतिधारित करने हेतु प्राधिकृत करती है। यह शुल्क अधिसूचना टीओटी परियोजना पर कार्यारंभ करने की तारीख से प्रभावी होगी।

सारणी-1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए चार या अधिक लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग खंड के लिए प्रति किमी शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्धृत एवं संग्रहीत शुल्क, शुल्क प्लाज़ा पर, निम्नलिखित शुल्क प्लाज़ा(प्लाज़ाओं) के लिए विनिर्दिष्ट निवल सड़क हेतु शोध्य और संदेय होगा:

1.000 किमी से 136.000 किमी की यात्रा -लंबाई (किमी में)

क्र.सं.	टोल प्लाज़ा का अवस्थान (चेनेज)	लंबाई (किमी में) जिसके लिए शुल्क संदेय है (60 मीटर लंबाई से अधिक की संरचना को छोड़कर)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
1.	5.500 किमी (मुख्य प्लाज़ा) (ग्राम जखौली/जिला सोनीपत)	नीचे दी गई तालिका 2 में दूरी मैट्रिक्स के अनुसार	ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 125%
2.	15.36 किमी (मुख्य प्लाज़ा) (गांव मविकलां/जिला बागपत)		
3.	44.512 किमी (गांव दुहाई/जिला गाजियाबाद)		
4.	*49.960 किमी एनई 3 इंटरचेंज (दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे) जिला गाज़ियाबाद)		
5.	52.192 किमी (डासना गांव/जिला गाजियाबाद)		
6.	72.724 किमी (ग्राम बिल अकबरपुर/ जिला जीबी नगर)		
7.	83.005 किमी (ग्राम फतेहपुर रामपुर/ जिला जीबी नगर)		
8.	108.570 किमी (गांव मौजपुर/जिला फरीदाबाद)		

9.	132.085(मुख्य प्लाज़ा) (गांव छज्जु नगर/जिला पलवल)		
----	--	--	--

* टोल संग्रह केवल ईपीई से बाहर निकलने के लिए किया जाएगा (2 एक्जिट पॉइंट)

तालिका 2: टोल प्लाजाओं के बीच सड़क की लंबाई के लिए दूरी मैट्रिक्स (केवल कैरिजवे भाग,
60 मीटर लंबाई से अधिक की संरचना को छोड़कर)

	तक	मुख्य प्लाजा	मविकलां	दुहाई	एनई3	डासना	बिल अकबरपुर *	फतेहपुर रामपुर	मौजपुर	मुख्य प्लाजा
से	किमी	5.5	15.36	44.512	49.96	52.192	72.724	83.005	108.57	132.085
मुख्य प्लाजा	5.5	0.000	13.760	42.540	47.888	49.995	70.455	80.586	105.431	132.657
मविकलां	15.36	13.760	0.000	28.780	34.128	36.235	56.695	66.826	91.671	118.897
दुहाई	44.512	42.540	28.780	0.000	5.348	7.455	27.915	38.046	62.891	90.117
एनई3	49.96	47.888	34.128	5.348	0.000	2.107	22.567	32.698	57.543	84.769
डासना	52.192	49.995	36.235	7.455	2.107	0.000	20.460	30.591	55.436	82.662
बिल अकबरपुर *	72.724	70.455	56.695	27.915	22.567	20.460	0.000	10.131	34.976	62.202
फतेहपुर रामपुर	83.005	80.586	66.826	38.046	32.698	30.591	10.131	0.000	24.845	52.071
मौजपुर	108.57	105.431	91.671	62.891	57.543	55.436	34.976	24.845	0.000	27.226
मुख्य प्लाजा	132.085	132.657	118.897	90.117	84.769	82.662	62.202	52.071	27.226	0.000

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बुनियादी ढांचाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी बुनियादी ढांचाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तन करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाज़ा(प्लाजाओं) पर निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

60 मीटर से अधिक की संरचनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

सारणी-3

क्र.सं.	संरचना का प्रकार	मौजूदा किमी	संरचना की लंबाई किमी में	समकक्ष सड़क की लंबाई किमी में
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ) = (घ) x 10
1	यमुना-1 नदी पर बड़ा पुल	किमी. 12.752	0.600	6.000
2	आरओबी (शाहदरा-शामली रेलवे लाइन)	किमी 19.125	0.0700	0.700
3	हिंडन नदी पर बड़ा पुल	किमी 33.900	0.240	2.40
4	फ्लाईओवर	किमी 44.510	0.0620	0.620
5	आरओबी (मेरठ गाजियाबाद रेलवे लाइन)	किमी 44.949	0.100	1.000
6	आरओबी (गाजियाबाद-	किमी 51.683	0.06347	0.6347

	मुरादाबाद रेलवे लाइन)			
7	फ्लाईओवर	किमी 52+182	0.0617	0.617
8	आरओबी (एनटीपीसी रेलवे साइडिंग)	किमी 64.797	0.0720	0.720
9	फ्लाईओवर	किमी 72.743	0.06175	0.6175
10	आरओबी (खुर्जा गाजियाबाद रेलवे लाइन)	किमी 80.127	0.08843	0.8843
11	धनकोर के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर फ्लाईओवर	किमी 91.975	0.1200	1.200
12	यमुना-2 नदी पर बड़ा पुल	किमी 102.674	0.600	6.000
13	आगरा नहर पर बड़ा पुल	किमी 130.530	0.1140	1.140
14	एनएच -2 पर इंटरचेंज	किमी 134.934	0.0900	0.900
कुल			2.34335 अथवा 2.343	23.4335 अथवा 23.433

3. निवल प्रभावी लंबाई जिसके लिए शुल्क शोध्य और संदेय होगा वह निम्नानुसार है:

सारणी 5:

कुल टोल योग्य सड़क की लंबाई के लिए दूरी मैट्रिक्स (60 मीटर से अधिक लंबाई की संरचनाओं की समतुल्य लंबाई सहित)

	तक	मुख्य प्लाजा	मविकलां	दुहाई	एनई 3	डासना	बिल अकबरपुर *	फतेहपुर रामपुर	मौजपुर	मुख्य प्लाजा
से	किमी	5.5	15.36	44.512	49.96	52.192	72.724	83.005	108.57	132.085
मुख्य प्लाजा	5.5	0.000	19.760	52.260	58.608	61.967	83.147	94.779	126.824	156.090
मविकलां	15.36	19.760	0.000	32.500	38.848	42.207	63.387	75.019	107.064	136.330
दुहाई	44.512	52.260	32.500	0.000	6.348	9.707	30.887	42.519	74.564	103.830
एनई3	49.96	58.608	38.848	6.348	0.000	3.359	24.539	36.171	68.216	97.482
डासना	52.192	61.967	42.207	9.707	3.359	0.000	21.180	32.813	64.858	94.124
बिल अकबरपुर *	72.724	83.147	63.387	30.887	24.539	21.180	0.000	11.633	43.678	72.944
फतेहपुर रामपुर	83.005	94.779	75.019	42.519	36.171	32.813	11.633	0.000	32.045	61.311
मौजपुर	108.57	126.824	107.064	74.564	68.216	64.858	43.678	32.045	0.000	29.266
मुख्य प्लाजा	132.085	156.090	136.330	103.830	97.482	94.124	72.944	61.311	29.266	0.000

नोट: * बिल अकबरपुर या बील अकबरपुर का एक ही अर्थ है।

4. शुल्क प्लाजा को पार करके खंड के केवल एक हिस्से का उपयोग करने वाले वाहन को केवल उस प्लाजा के लिए वाहन की उस श्रेणी के लिए निर्दिष्ट शुल्क का भुगतान करना होगा और पूरे खंड का उपयोग करने वाले वाहन के पास पहले शुल्क प्लाजा पर पूरे शुल्क का भुगतान करके और शुल्क रसीद दिखाकर दूसरे शुल्क प्लाजा को पार करने का विकल्प होगा।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई *	पचास अथवा अधिक	भुगतान की तिथि से एक माह

*बशर्ते कि उपयोगकर्ता यात्रा करते समय एक ही प्रवेश और निकास शुल्क प्लाजा का उपयोग करता हो।

6. यांत्रिक वाहन के चालक या मालिक या प्रभारी व्यक्ति को राष्ट्रीय राजमार्ग पर ओवरलोड वाहन में प्रवेश करने के लिए शुल्क का भुगतान करने के लिए उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह एजेंसी को निम्नानुसार शुल्क के बराबर भुगतान करना होगा

अधिकतम अनुमेय सकल वाहन भार से अधिक भार का प्रतिशत	आधार दर का गुणक कारक	शुल्क
(1)	(2)	(3)
0% से 20%	दो	[[नियम 4 के उप-नियम (2) के तहत यांत्रिक वाहन की ऐसी श्रेणी के लिए लागू शुल्क x (गुणक कारक)]]
> 20% से 40%	चार	
> 40% से 60%	छह	
> 60% से 80%	आठ	
>80% और अधिक	दस	

7. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस सड़क, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरें प्रदर्शित की जाएंगी।

9. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंडों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जायेगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे, तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

10. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंडों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जायेगी। उसे, तदनुसार, रियायतग्रही के माध्यम से अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा और इसके बाद उक्त नियमों के नियम 5 और रियायत समझौते के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक संशोधित किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा, बशर्ते, हालांकि, ऐसा संशोधन पूर्ववर्ती शुल्क संशोधन की तारीख से 6 (छह) महीने की अवधि तक प्रभावी नहीं होगा।

[फा. सं. एनएचआई/13013/टीओटी डिवीजन/2022-23/फीनोटिफिकेशन/टीओटी7]

महमूद अहमद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th September, 2022

S.O. 4153(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 461(E) dated the 30.03.2006, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted Development of Six-Lane Eastern Peripheral Expressway (NH No. NE – II) from km 1.000 to km 136.000 (starting at 1.00 km distance from Km 36.083 on NH – 1 and ending at 1.00 km distance from Km 64.330 on NH – 2) in the states of Haryana and Uttar Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 7 of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) read with Rule (3) of the National Highway Fee (Determination of Rates and Collection) Rules 2008, the Central Government by notification of the Government of India authorized Authority for levying and collecting fee on mechanical vehicles for the use of stretches as follows:

Vide S.O.No. 2299 (E) dated 06th June, 2018 for the section from Km 1.000 to km 136.000 (starting at 1.00 km distance from Km 36.083 on NH – 1 and ending at 1.00 km distance from Km 64.330 on NH – 2) (approximately 135 km) on National Highway No.NE-II (hereinafter called the “NHNE-II”) in the States of Haryana and Uttar Pradesh.

And whereas, pursuant to the provision of Section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an Agreement (hereinafter referred to as said agreement) with M/s NCR Eastern Peripheral Expressway Pvt. Ltd. C-2/39, BLK-C-2, Safdarjung Dev Area, New Delhi- 110016,, (hereinafter referred to as the “Concessionaire”), on 06.05.2022 for the bid submitted on 27.01.2022 for the Tolling, Operation, Maintenance and Transfer (ToT mode) of km 1.000 to km 136.000 [starting at 1.00 km distance from km 36.083 on NH-44(old NH-1) and ending at 1.00 km distance from km 64.330 on NH-19(old NH-2) (approximately 135.000 km)] on National Highway No.NE-2 in the States of Haryana and Uttar Pradesh;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 [GSR 838 (E) dt. 05.12.2008] read along with National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2010 [GSR 950(E) 03.12.2010], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2011 [GSR 15(E) 12.01.2011], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Second Amendment Rules, 2011 [GSR 756 (E) 12.10.2011], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2013 [GSR 778(E) 16.12.2013], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2014 [GSR 26(E) 16.01.2014], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2014 [GSR 831(E) 21.11.2014], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2014 [GSR 02(E) 29.12.2014], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules 2015 [GSR 220(E) 23.03.2015], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules 2016 [GSR 585(E) 08.06.2016], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules 2016 [GSR 1114(E) 02.12.2016], The National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2017 [GSR 248(E) 14.03.2017] , The National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2018 [GSR 427(E) 07.05.2018], The National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2018 [GSR 920(E) 25.09.2018], The National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2019 [GSR 942(E) 20.12.2019], The National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2020 [GSR 298(E) 15.05.2020], The National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2020 [GSR 523(E) 24.08.2020], The National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2020 [GSR 804(E) 30.12.2020], and any other amendments till bid due date and in supersession of the Notification Number S.O. No. 2299 (E) dated 06th June, 2018 except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said Section of said National Highway, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of said agreement entered between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles at the rate specified in column (2) of the Table 1 for total equivalent road length of 156.090 km [including 135.000 km road and 2.343km of structures (having length more than 60 m) with

equivalent length of 23.433 km] for the use of 6 lane sections on the Type of Vehicles specified in Column (1) of the Table 1 below for the use of section from km 1.000 to km 136.000 [starting at 1.00 km distance from km 36.083 on NH-44(old NH-1) and ending at 1.00 km distance from km 64.330 on NH-19(old NH-2) (approximately 135.000 km)] on National Highway No.NE2 in the States of Haryana and Uttar Pradesh and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the Appointed Date or publication of this Notification in the Official Gazette, whichever is later, till the date of termination as specified in the agreement. This fee notification shall be effective from the Appointed Date of the ToT project.

Table 1

Type of vehicle	Base rate of fee per km* for NH section of four or more lanes for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for the net road length specified for such Toll Plaza(s):

Journey from km 1.000 to km 136.000 – Length (in km)

Sl. No.	Location of Toll Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable (Excluding structure >60 m length)	Rate at which Fee is payable
1.	5.500 Km (Main Plaza) (Village Jakhauli/Distt. Sonapat)	As per the distance matrix at Table 2 below	125% of the base rates mentioned in Table-1 above
2.	15.36 Km (Main Plaza) (Village Mawikalan/ Distt. Baghpat)		
3.	44.512 Km (Village Duhai/ Distt. Ghaziabad)		
4.	*49.960 Km NE3 Interchange (Delhi Meerut Expressway) Distt. Ghaziabad)		
5.	52.192 Km (Village Dasna/ Distt. Ghaziabad)		
6.	72.724 Km (Village Bilakbarpur/ Distt. GB Nagar)		
7.	83.005 Km (Village Fatehpur Rampur/ Distt. GB Nagar)		
8.	108.570 Km (Village Maujpur/Distt. Faridabad)		
9.	132.085 Km (Main Plaza) (Village Chhajju Nagar/ Distt. Palwal)		

* Toll collection shall be done only for exit from EPE (2no's Exit Points)

Table 2: Distance matrix for road length (Carriageway portion only, excluding structures >60m length) between Toll Plazas

	To	Main Plaza	Mawikalan	Duhai	NE3	Dasna	Bilakbarpur*	Fatehpur Rampur	Maujpur	Main Plaza
From	Km	5.5	15.36	44.512	49.96	52.192	72.724	83.005	108.57	132.085
Main Plaza	5.5	0.000	13.760	42.540	47.888	49.995	70.455	80.586	105.431	132.657

Mawikalan	15.36	13.760	0.000	28.780	34.128	36.235	56.695	66.826	91.671	118.897
Duhai	44.512	42.540	28.780	0.000	5.348	7.455	27.915	38.046	62.891	90.117
NE3	49.96	47.888	34.128	5.348	0.000	2.107	22.567	32.698	57.543	84.769
Dasna	52.192	49.995	36.235	7.455	2.107	0.000	20.460	30.591	55.436	82.662
Bilakbarpur*	72.724	70.455	56.695	27.915	22.567	20.460	0.000	10.131	34.976	62.202
Fatehpur Rampur	83.005	80.586	66.826	38.046	32.698	30.591	10.131	0.000	24.845	52.071
Maujpur	108.57	105.431	91.671	62.891	57.543	55.436	34.976	24.845	0.000	27.226
Main Plaza	132.085	132.657	118.897	90.117	84.769	82.662	62.202	52.071	27.226	0.000

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60 m at the following toll plaza, by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

The details of structures having more than 60m are as under:

Table 3

S. No.	Type of structure	Existing Km	Length of structure in km	Equivalent Road length in km
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)= (d) x10.
1	Major Bridge on Yamuna-I River	Km. 12.752	0.600	6.000
2	ROB (Shahadra-Shamli Railway line)	Km 19.125	0.0700	0.700
3	Major Bridge on Hindon River	Km 33.900	0.240	2.40
4	Flyover	Km 44.510	0.0620	0.620
5	ROB (Meerut Ghaziabad Railway line)	Km 44.949	0.100	1.000
6	ROB (Ghaziabad-Moradabad Railway line)	Km 51.683	0.06347	0.6347
7	Flyover	Km 52+182	0.0617	0.617
8	ROB (NTPC Railway siding)	Km 64.797	0.0720	0.720
9	Flyover	Km 72.743	0.06175	0.6175
10	ROB (Khurja Ghaziabad Railwayline)	Km 80.127	0.08843	0.8843
11	Flyover at Yamuna Expressway near Dhankor	Km 91.975	0.1200	1.200
12	Major Bridge on Yamuna-2 River	Km 102.674	0.600	6.000
13	Major Bridge on Agra Canal	Km 130.530	0.1140	1.140

S. No.	Type of structure	Existing Km	Length of structure in km	Equivalent Road length in km
14	Interchange on NH-2	Km 134.934	0.0900	0.900
Total			2.34335 Say 2.343	23.4335 Say 23.433

3. The net effective length for which fee shall be due and payable is as under:

Table 5:

Distance matrix for total tollable road length (including equivalent length of structures >60 m length)

	To	Main Plaza	Mawikalan	Duhai	NE3	Dasna	Bilakbarpur*	Fatehpur Rampur	Maujpur	Main Plaza
From	Km	5.5	15.36	44.512	49.96	52.192	72.724	83.005	108.57	132.085
Main Plaza	5.5	0.000	19.760	52.260	58.608	61.967	83.147	94.779	126.824	156.090
Mawikalan	15.36	19.760	0.000	32.500	38.848	42.207	63.387	75.019	107.064	136.330
Duhai	44.512	52.260	32.500	0.000	6.348	9.707	30.887	42.519	74.564	103.830
NE3	49.96	58.608	38.848	6.348	0.000	3.359	24.539	36.171	68.216	97.482
Dasna	52.192	61.967	42.207	9.707	3.359	0.000	21.180	32.813	64.858	94.124
Bilakbarpur*	72.724	83.147	63.387	30.887	24.539	21.180	0.000	11.633	43.678	72.944
Fatehpur Rampur	83.005	94.779	75.019	42.519	36.171	32.813	11.633	0.000	32.045	61.311
Maujpur	108.57	126.824	107.064	74.564	68.216	64.858	43.678	32.045	0.000	29.266
Main Plaza	132.085	156.090	136.330	103.830	97.482	94.124	72.944	61.311	29.266	0.000

*Note: *Bil Akbarpur or Beel Akbarpur has the same meaning.*

4. The vehicle using only a part of the section by crossing a fee plaza shall pay the specified fee for that category of the vehicle for that plaza only and the vehicle using the whole section shall have an option to pay the whole fee at the first fee plaza and cross another fee plaza by showing the fee receipt.

5. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Amount Payable	Maximum number of one- way journeys allowed	Period of Validity
One and half times of the fee for one-way journey	Two	Twenty-four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys or more *	Fifty or more	One month from date of payment

* Provided that the user uses the same entry and exit fee plazas while performing the journey.

6. The driver or owner or person in charge of a mechanical vehicle shall be liable to pay fee, for entering the overloaded vehicle on the national highway, to the user fee collecting agency, equal to fees as follows

Percentage of excess load over Maximum Permissible Gross Vehicular Weight	Multiplying Factor to the base rate	Fees
(1)	(2)	(3)
0% to 20%	Two	[(Fees applicable for such

>20% to 40%	Four	category of mechanical vehicle under sub-rule (2) of rule 4) x (Multiplying factor)]
>40% to 60%	Six	
>60% to 80%	Eight	
>80% and Above	Ten	

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the rules.
8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.
9. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.
10. The Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority. The same shall be got published by the Authority in at least one newspaper in English and vernacular language through the Concessionaire and thereafter revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and provisions of the Concession Agreement and will be published, provided, however, that such revision shall not be affected until a period of 6 (six) months from the date of the preceding revision of fee.

[F. No. NHAI/13013/TOTDivision/2022-23/FeeNotification/TOT7]

MAHMOOD AHMED, Jt. Secy.